

स्विफ्ट कार व एम्बुलेंस की टक्कर में मरीज समेत तीन जनों की मौत

कार सवार दो जनों की मौत, एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी ने भी सीकर में दम तोड़ा

सुजानगढ़, (निर्सं)। गत रात्रि को सालासर रोड पर लोडसर गांव के बस स्टैंड के पास स्विफ्ट कार व एम्बुलेंस की टक्कर में कार में सवार दो जनों की मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में सवार हृदय रोगी ने भी सीकर में दम तोड़ा।

जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही निजी एम्बुलेंस और सामने से आ रही स्विफ्ट कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गयी, जिसमें कार चालक जाकिर (32) पुत्र राम खान मिरासी, रतनगढ़ की मौके पर ही मौत हो गयी। कार में सवार सलीम खान (60) पुत्र पत्रे खान निवासी बालेरा तहसील बौदासर भी गंभीर घायल हो गया, जिसको सीकर रैफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी। इसी प्रकार एम्बुलेंस चालक मनीष पारीक, एम्बुलेंस के सवार योगेश शर्मा, दिनेश शर्मा, कमल शर्मा निवासी सुजानगढ़



सुजानगढ़ के लोडसर गांव के पास हुए हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गये।

घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक जाकिर खां के भाई अलताफ खां ने सदन थाने में एम्बुलेंस चालक पर एक गफलत व लापरवाही से वाहन

चलाकर कार के टक्कर मारने का मामला दर्ज कराया है। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस व टीम हारे का सहारा

संयोजक श्याम स्वर्णकार, निजी एम्बुलेंस चालक शंकर बिजारणिया, भार्गोथर जाट, दामोदर शर्मा लोडसर, आबसर सरपंच गिरधारी लाल व

■ सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही थी निजी एम्बुलेंस, लोडसर गांव के पास हुआ हादसा

ग्रामीणों की सहायता से घायलों तथा मृतक को सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एम्बुलेंस से सीकर ले जा रहे मरीज महावीर प्रसाद (60) पुत्र बेगराज शर्मा, निवासी ठरडा रोड सुजानगढ़ की सीकर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक मनीष को भी अत्यंत रैफर किया गया। सदन थाने के एएसआई तनसुखा राम मौके पर पहुंचे तथा यातायात को सुचारु कराया। शुक्रवार सुबह एसआई गीता रानी सुजानगढ़ अस्पताल पहुंची तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

अवैध बजरी परिवहन की रैकी का आरोप

बौली-बामनवास, (निर्सं)। बाटोदा थाना पुलिस ने अवैध बजरी की रैकी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर रैकी के दौरान काम में लगे गई एक बोलेरो व एक बाइक को जब्त किया है।

बाटोदा थाना प्रभारी भरत सिंह ने बताया कि बामनवास सीओ सीताराम मीणा के सुपरविजन में बाटोदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक भरत सिंह के नेतृत्व

■ चार गिरफ्तार एवं बोलेरो-बाइक जब्त

में गठित टीम में शामिल सहायक उप निरीक्षक लखीराम, कांस्टेबल सुंदर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह व शत्रुघन ने शुक्रवार को क्षेत्र की बामन नदी से अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की जीप व जाते

की लोकेशन को लेकर रैकी करने वाले विक्की उर्फ उमम सिंह गुर्जर निवासी भिनीरी थाना बाटोदा, शेर सिंह गुर्जर निवासी भिनीरी थाना बाटोदा एवं विष्णु मीणा निवासी मीनापाडा थाना सदन गंगपुर सिटी व बाबूलाल मीणा निवासी मीनापाडा थाना सदन गंगपुर सिटी को गिरफ्तार कर एक बोलेरो व एक बाइक को कागजात के अभाव में जब्त किया है।

अज्ञात की मौत

सादुलपुर, (निर्सं)। चूरू सड़क मार्ग पर स्थित डीएसपी कार्यालय राजगढ़ के नजदीक सादुलपुर चूरू रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने के कारण एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण किया तथा अज्ञात मृतक के शव को शिनाख्गी की कार्यवाही के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ के मोर्चरी रूम में रखवाने की कार्यवाही की है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह झाड़डिया ने बताया कि मनीष कुमार नाई निवासी चुंगी हाल रेलवे कार्मिक ने मामला दर्ज करावा कर बताया कि 19 दिसंबर को गुरुवार देर शाम को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्गी कार्यवाही नहीं हो सकी है तथा निकटवर्ती संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देकर शिनाख्गी कार्यवाही के प्रयास किया जा रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री-बजट बैठक हुई

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर शहर की एक होटल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री-बजट बैठक हुई। बैठक में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उत्तराखण्ड

■ बैठक में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उत्तराखण्ड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू सहित अन्य राज्यों के वित्तमंत्री मौजूद रहे

के वित्त, शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुखू, पंजाब के वित्तमंत्री हरपालसिंह छीमा सहित अन्य राज्यों के वित्तमंत्री मौजूद रहे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वागत किया :- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 55 वीं जोएसटी कार्डिनल बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर जैसलमेर विधायक छोट्टीसिंह भाटी, समाजसेवी विक्रमसिंह नाचान,



वित्तमंत्री सीतारमण की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अगवानी की।

पवनसिंह भाटी, अरुण पुरोहित भी उपस्थित थे एवं उन्होंने भी स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर वित्तमंत्री का जिला कलेक्टर प्रतापसिंह ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक सोधी चौधरी ने उनकी अगवानी की। दिया कुमारी की सविल एयरपोर्ट पर अगवानी की :- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को जैसलमेर पहुंची। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का सविल एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया।

उपमुख्यमंत्री का जैसलमेर विधायक छोट्टीसिंह भाटी ने एयरपोर्ट पर गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। यहाँ पर समाजसेवी विक्रमसिंह नाचान, अरुण पुरोहित, सवाईसिंह गोगली ने भी दिया कुमारी का स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री के सविल एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर प्रतापसिंह एवं पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। उपमुख्यमंत्री का होटल पहुंचने पर वित्त सचिव (राजस्थ) डॉ. रवि कुमार सूरपुर, संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

जुआ खेलते दो दर्जन सटोरिये गिरफ्तार

7.61 लाख से अधिक की राशि व पांच वाहन जब्त किए

निवाई, (निर्सं)। बरोनी थानागत गांव करीरिया के समीप एक फार्म हाउस पर बरोनी थाना पुलिस व डीएसटी टीम टोंक ने छापा मारकर जुआ खेलने के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से 7.61 लाख से अधिक की राशि व पांच वाहन भी जब्त किए हैं।

बरोनी थानाधिकारी मानवंदर सिंह ने बताया कि गांव करीरिया के समीप एक फार्म हाउस पर जुआ खेलने के आरोप में प्रेम कुमार नाई निवासी दुगौली थाना जयपाल जिला नागौर, नौशदर खान निवासी आजाद नगर जयपुर, इरफान खान निवासी उदयमंदिर थाना नागौर गेट जिला जोधपुर, सरदारमल जैन निवासी थावला जिला नागौर, मुकेशराम नाई निवासी नागौर गेट जोधपुर, मुकेश मीणा निवासी पीपलदा थाना बौली



बरोनी थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किए।

सवाई माधोपुर, सुरेश कुमार शर्मा व पवन सोनी निवासी निम्बो जोदन जिला नागौर, इब्राहीम खां निवासी रंगापुर सिटी, ईसाफ खान निवासी गंगपुर का बाग जोधपुर, पप्पू बोरडा, राजेन्द्र कोठारी निवासी करवनी जिला टोंक, इसाफ खान निवासी मीणा निवासी कुंडेरा जिला सवाई माधोपुर, रितेश

जैन निवासी जोहरी बाजार जयपुर, दिनेश मेघवाल निवासी रोल जिला नागौर, पिंटू मीणा निवासी बोल थाना टोंडाभीम जिला गंगपुर सिटी, राजेन्द्र माली निवासी शाहपुर जिला ब्यावर, हनुमान मीणा निवासी बोरडा जिला टोंक, लुकमान खां निवासी सलेमपुर जिला करौली, गणपत सोनी निवासी

गुगेरीयाली जिला नागौर, असरार खान निवासी सलेमपुर जिला करौली, युसूफ खां निवासी मंदिर के पीछे जिला जोधपुर व अमरगाम मेघवाल निवासी खियाला जिला नागौर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से मौके से राशि व पांच वाहन भी जब्त किए हैं।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग) 28 से

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का विषयवार आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 21 दिसंबर 2024 से एएसएसओ पोर्टल पर लॉगिन

परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लेने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर

उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो आय मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, 16वां खण्ड, इगानप बीकानेर क्रमांक 2755 दिनांक 16-12-24

OFFICE ORDER

इस कार्यालय की निविदा सं 10 वर्ष 2024-25 जो कि दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त कर दिनांक 26.12.2024 को खोली जानी थी। उक्त निविदा में क्रम संख्या 08 पर अंतिम कार्य अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

(दीपाकर शर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता,

16वां खण्ड इगानप

बीकानेर

DIPRC/13246/2024

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर क्रमांक निदेश/ अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (M. Bajir-XVIII)/2024/ ई-09120

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अधिशाषी अभियन्ता, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

| जिला | तहसील | राजस्व गांव | प्लॉटों की संख्या |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| भीलवाड़ा | माण्डलगढ़ | खटवाड़ा व मालीखेड़ा | 1 |
| | | खटवाड़ा व परलिया | 1 |
| | | मोई, नीलकोखेटी | 1 |
| | | मोई, गोपालपुरा | 1 |
| | | प्रतापगढ़ नील को खेड़ी, मुकन्दपुरा | 1 |
| | | जालियां, रत्नपुरा व बिलियां | 1 |
| | | गोयापुरा, जालियां, परमपुरा | 1 |
| | | बिलियां, पवानी सिंह जी का खेड़ा नरदपुर, पंडेरी | 1 |
| | | सवाईपुर | 2 |
| | | गंगा को खेड़ी | 1 |
| भीलवाड़ा/शाहपुरा | माण्डलगढ़ / कोटड़ी | बिलियां, पवानी सिंह जी को खेड़ा नरदपुर, पंडेरी | 1 |
| | | हरिसिंह जी का खेड़ा पंडेरी | 1 |
| योग | | | 12 |

विशेष नोट:-

1 प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑफ़र की शर्त विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है। (भावती प्रसाद) IAS निदेशक

DIPRC/13243/2024

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर क्रमांक निदेश/ अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (M. Bajir-XVIII)/2024/ ई-09507

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अधिशाषी अभियन्ता, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

| जिला | तहसील | राजस्व गांव | प्लॉटों की संख्या |
|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| शाहपुर | जहाजपुर | केसपुर, भूनीकला | 1 |
| | | रामतखेड़ा, शंकरपुरा | 1 |
| भीलवाड़ा | हमीरगढ़ | खेड़ावद व कान्हाखेड़ा | 2 |
| | | बरडोद व खेड़ावदिया | 1 |
| | | मोहनपुर, पेसाकुण्डल | 1 |
| | | पेसाकुण्डल | 1 |
| | | जयसिवां, सायल व बरडोद | 1 |
| | | गुलवाडी | 1 |
| | | सवाईपुर | 1 |
| भीलवाड़ा/ज्वावर | हुर्डा/विजयनगर | करेड़, भाकलियां, सोपुरा | 1 |
| | | अमरियां, गेन्दलियां, करेड़ | 1 |
| भीलवाड़ा/ज्वावर | हुर्डा/विजयनगर | हुर्डा सेजा नगर | 1 |
| योग | | | 12 |

विशेष नोट:-

1 प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑफ़र की शर्त विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है। (भावती प्रसाद) IAS निदेशक

DIPRC/13244/2024

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान आबकारी भवन 2-गुनियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001 क्रमांक-F.32(b)(1) (AP)EXL/2024-25-03000 part(6)/1372

दिनांक: 20.12.2024

पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पडत रीटेल कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| क्र.सं. | निविदा दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने की दिनांक व समय | दिनांक 21.12.2024 दोपहर 3.00 बजे से |
|---------|--|---|
| 1 | निविदा दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय <td>दिनांक 24.12.2024 दोपहर 3.00 बजे तक</td> | दिनांक 24.12.2024 दोपहर 3.00 बजे तक |
| 2 | वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान <td>दिनांक 24.12.2024 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय</td> | दिनांक 24.12.2024 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय |

ई-निविदा में भाग लेने की शर्तें-

- यह निविदा वेबसाइट <https://www.sppp.rajasthan.gov.in> तथा विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदा एवं वेबसाइट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जाती है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सॉफ्टवेयर (CCA) द्वारा स्विकृत पंजनेसी से प्राप्त कर सकते हैं। निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सॉफ्टवेयर है, उन्हें नया सॉफ्टवेयर लेने की आवश्यकता नहीं है।
- देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बोपर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
- ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकान का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ प्रक्रिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा कराकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियों उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी -

| क्र.सं. | विवरण | राशि (रूपय में) | राजकोष लेखा मद |
|---------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | RISL की प्रक्रिया/पंजीकरण शुल्क | ₹. 2000/- | 8658-00-102-(16)-01 (सविल विभाग) |
| 2 | आवेदन शुल्क | निविदा के संबंध में जारी दिशा-निर्देश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार ₹. 10,00,00/- से लेकर ₹.20,00,00 तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार) | 0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क) |
| 3 | अमानत राशि | अनुमानित गारण्टी राशि को 2 प्रतिशत | 8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा) |

- ई-प्रोक पोर्टल से प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रश्न शुल्क) में राशि रु. एक रूपया जमा कराकर आवेदन शुल्क का चालान प्रथक से राजकोष में मद 0039-00-501-01-00 में जमा कराया जा सकता है।
- अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृत के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होंगे।
- स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अंतिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाइसेंस फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करनी होगी।
- निर्धारित समय में वांछित राशियों यथा-धरोहर राशि, अंतिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाइसेंस फीस जमा न करने पर स्वीकृत निरस्त कर समस्त जमा राशि जवरज की जायेगी।
- मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे हो व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्धन करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्राथम अनुज्ञापत्र इत्यादि <https://excise.rajasthan.gov.in> व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। चिकना ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व शर्तों अन्वयन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अधिकारि आबकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
- ई-निविदा के संबंध में अन्ना प्रशासन आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।
- ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला रहेगा। UBN-EXC2425GLOB00166 (शिवासाद नकाते)

DIPRC/13316/2024

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

कार्यालय नगर पालिका खाजूवाला जिला-बीकानेर (राज.)

क्रमांक:- न.पा.खा/निविदा/निर्माण/2024-25/1350 दिनांक:- 19.12.2024

-: ई-निविदा सूचना 04/2024-25 :-

नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य नियमानुसार पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बंधित विस्तृत विवरण व जानकारी वेबसाइट WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN व WWW.EPROC.RAJASTHAN.GOV.IN पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

| S.No. | UBN No | निविदा मॉडल प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम दिनांक | ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक |
|-------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | DLB2425WSOB13509 | निविदा मॉडल प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम दिनांक | ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक |
| 2 | DLB2425WSOB13510 | निविदा मॉडल प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम दिनांक | ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक |
| 1 | दिनांक 19.12.2024 को साय 06:00 बजे तक | दिनांक 31.12.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक | दिनांक 01.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक |

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, खाजूवाला

राज.सं.वा.स/सी/24/9343